एस. के.

***जवाहर लाल गुप्ता और मेहताब एस. गिल जे. जे.* के समक्ष,**

हरियाणा राज्य,-अभियोक्ता

बनाम

राजू @राजू चौहान,-अभियुक्त/प्रतिवादी।

1999 का M.R. No. 3 और
CRL. APPEAL No.463-DB of 1999

26अप्रैल, 2000

भारतीय दंड संहिता, 1860- धारा. 302, 363एब।376—अपहरण के बाद एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या- सत्र न्यायाधीश ने मौत की सजा सुनाई-प्राथमिकी दर्ज करने में कोई देरी नहीं- आरोपी का अपराध संदेह से परे साबित हुआ- उसका आचरण मानवीय नहीं था- मौत की सजा की पुष्टि हुई- अपील खारिज कर दी गई।

निर्धारित किया गया कि बिना किसी देरी के प्राथमिकी दर्ज की गई।मौखिक साक्ष्य शुरुआत में दी गई कहानी साबित करते हैं। ।चिकित्सा साक्ष्य और प्रयोगशाला रिपोर्ट पूरी तरह से मौखिक गवाही की पुष्टि करते हैं।कुल मिलाकर, अपीलार्थी के अपराध के बारे में कोई संदेह नहीं है।इस प्रकार, हम मानते हैं कि आरोप संदेह से परे साबित होता है।

(पैरा 23)

आगे कहा कि आरोपी एक युवक है।लेकिन उनका व्यवहार मानवीय नहीं था।उसने एक छोटी बच्ची का अपहरण कर लिया।बलात्कार किया।फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।एक ईंट से बच्ची की खोपड़ी और चेहरे को तोड़ दिया।यह सब एक असंवेदनशील और बीमार मन का संकेत है।

(पैरा 24)

इसके अलावा यह भी कहा गया कि यह सच है कि सबसे दुर्लभतम मामलों में अत्यधिक दंड दिया जाना चाहिए।लेकिन,पर हम हर बीमार व्यक्ति को रस्सी से बचने और समाज को पीड़ित करने की अनुमति नहीं दे सकते।समाज को राजू जैसे बीमार लोगों से बचाने की जरूरत है।इन्हे ख़त्म किया जाना चाहिए।ताकिअन्य जीवित रह सकें।रिंकू जैसे असहाय बच्चों को सुरक्षा की भावना दी जानी चाहिए और ऐसे व्यक्तियों से उनकी रक्षा की जानी चाहिय।हमे कोई गंभीरता कम करने वाली परिस्थिति नहीं मिली जिसके लिए अत्यधिक दंड से कम कुछ भी आवश्यक हो।

(पैरा 25)

अभियुक्त की ओर *से अधिवक्ता बलजीत कौर।*

राज्य के लिए अमोल रतन *सिंह, ए. ए. जी., हरियाणा।*

निर्णय

जवाहर लाल गुप्ता, जे. (मौखिक)

(1) अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363,376 और 302 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी पाया गया है।सत्र न्यायाधीश ने हत्या के अपराध के लिए मौत की सजा का प्रस्ताव दिया है।उन्होंने धारा 376 के तहत 7 साल की सजा, धारा 363,के तहत 3 साल की सजा भी सुनाई है। आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त ने एक अपील दायर की है।हमारे पास हत्या रेफरी नंबर 1999 का सं. 3 और आपराधिक अपील नं. 1999 का. 463-डी. बी.।

(2)बच्ची कथित तौर पर 5 जनवरी, 1997 की शाम से लापता थी।सुबह उसका शव मिला।कहानी का खुलासा शुरू में मृतक के चाचा (पिता के छोटे भाई) राम केवल ने सब-इंस्पेक्टर शकुंतला को किया था।इस बयान के आधार पर, एफ. आई. आर. सुबह 7:30 बजे दर्ज किया गया था। विशेष रिपोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुबह 11.55 बजे पहुंची थी।

(3) शिकायतकर्ता का कहना था कि बनवारी लाई की पाँच बेटियाँ थीं।इन पाँचों में से एक रिंकू 11 साल की थी।वह दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। 5 जनवरी, 1997 को शाम करीब 6 बजे वह दूध लेने के लिए घर से बाहर गई थी।दूध लाने के बाद, शिकायतकर्ता ने 20/22 वर्ष की आयु के राजू को रिंकू को टॉफी देते देखा था।वह रात 8-9 बजे तक वापस नहीं आई थी। संदेह था कि राजू ने उसका "अपहरण" कर लिया होगा।पड़ोसी माखन लाई ने राजू और रिंकू को चंदन नगर की ओर जाते देखा था।वे रात भर उन दोनो की तलाश करते रहे।लेकिन राजू और रिंकू नहीं मिले।अगली सुबह सरकारी कॉलेज के मैदान में रिंकू का शव झाड़ियों के नीचे पड़ा मिला।ऐसा प्रतीत होता है कि "रिंकू के साथ बलात्कार किया गया था और उसके सिर पर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी क्योंकि मौके पर खून से सना ईंट और खून पड़ा हुआ था।" इस कथन के आधार पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्शनी पीए), सुबह 7:30 बजे दर्ज की गई थी।

(4)अभियोजन पक्ष ने मामले के समर्थन में 15 गवाह पेश किए हैं।चिकित्सा साक्ष्य में डॉ. सुरेश बख्शी (PW 5) के बयान शामिल हैं, जिन्होंने शव परीक्षण किया था। डॉ. गजराज सिंह (PW 10), जिन्होंने वर्तमान अपीलार्थी राजू की जाँच की थी; और डॉ. वंदना नरूला (PW 13), जिन्होंने शारीरिक और शव परीक्षण किया था।

(5) डॉ. सुरेश बख्शी (PW 5) गुड़गांव के सामान्य अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे।उन्होंने डॉ. वंदना नरूला (पीडब्लू 13) के साथ पोस्टमार्टम किया था और मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई थीं:—

1. एक तिरछा कटा हुआ घाव था जो ललाट की हड्डी के अग्र भाग से बाईं आंख की भौंह के ऊपर 3 इंच ऊपर, मध्य तीसरे, पार्श्विका क्षेत्र तक पीछे की ओर फैला हुआ था, जिसका आकार 4" x 2" x हड्डी जैसा गहरा था और आगे विच्छेदन करने पर शुष्क हो गया था। चमड़े के नीचे के ऊतकों में रक्त की उपस्थिति थी और बाईं ओर पार्श्विका की हड्डी में फ्रैक्चर था,

मस्तिष्कावरक झिल्लियाँ में घाव था और 2.5 x 1.5 cm आकार की चोट मस्तिष्क पर कपाल गुहा में रक्त की उपस्थिति के साथ थी।

(2) दाहिनी आंख की भौंह के मध्य भाग से ऊपर की ओर, पीछे की ओर, दाएं पार्श्विका क्षेत्र में 4"x l"x हड्डी की गहराई तक फैली हुई तिरछी चोट वाली चोट थी, जिसमें चमड़े के नीचे के ऊतकों में रक्त की उपस्थिति थी और मस्तिष्कावरक झिल्लियाँ के घाव के साथ दाहिनी पार्श्विका की हड्डी में फ्रैक्चर था और मस्तिष्क पर आकार 2 सेमी.xl.5 सेमी.xl.5 सेमी. कपाल गुहा में रक्त की उपस्थिति के साथ लगभग 50 cm गहरा।

3. ऊपरी होंठ के अलग होने के साथ मध्य तीसरे से दाएं तरफ मुक्त नाक क्षेत्र पार्श्व पहलू तक फैली हुई चोट लगी थी।ऊपरी दाएं हिस्से में ऑडिमेटस मसूड़ों की उपस्थिति थी, पहला दाढ़ नरभक्षी और छेदक दांत गायब थे और आसपास का क्षेत्र घाव हो गया था और उप श्लेष्मा और श्लेष्मा परत में रक्त की उपस्थिति थी जिसमें थक्केदार रक्त की उपस्थिति थी।

(6) उन्होंने स्थानीय परीक्षा के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति का भी खुलासा किया।यह निम्नानुसार थाः—

डॉ. (श्रीमती) वंदना नरूला द्वारा स्थानीय परीक्षण किया गया और निम्नलिखित देखा गयाः—

जननांग क्षेत्र पर चोट का कोई बाहरीनिशान नहीं था, इंटरॉयटस और योनिच्छद 5 बजे घड़ी से 8 बजे घड़ी की स्थिति तकनिचले किनारे पर फटे हुए दिखाई देते हैं ।योनि श्लेष्मा का बाकी हिस्सा बरकरारथा, ग्रीवा
गर्भाशय स्वस्थ औरसामान्य आकार के थे।कोई चोट नहींलगी थी।योनि के स्वाब को फोरेंसिकजांच के लिए ले जाया गया और मृतक केकपड़ों के साथ एक अग्रेषण पत्र के साथरासायनिक परीक्षक, करनाल भेजा गया।

और उनकी राय में, मृत्यु रक्तस्राव और सदमे के कारण हुई थी।चोटें पूर्व-शव परीक्षण की प्रकृति की थीं।कपड़े,योनि स्वैब आदि को रासायनिक जांच के लिए भेजा गया था।उन्होंने ईंट की भी जांच की और कहा कि मृतक के शरीर पर चोट इसके साथ लगी हो सकती थी।

(7) डॉ. गजराज सिंह (पीडब्लू 10) ने राजू अपीलार्थी की जाँच की थी।उनकी राय में यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं था कि "आरोपी यौन कृत्य करने में सक्षम नहीं है।" उसने यह भी पाया था कि आरोपी के अंडरवियर के अंदर वीर्य के निशान थे और बाहरी तरफ खून के निशान थे।उन्होंने सफेद जींस पहनी हुई थी, जिसके दोनों पैरों पर खून के धब्बे थे।यहां तक कि कमीज पर भी दोनों बाजूओं और सामने के हिस्से पर खून लगा हुआ था।

(8) डॉ. वंदना नरूला (पीडब्लू 13) ने डॉ. सुरेश बख्शी के साथ रिंकू के शरीर की जाँच की थी।अदालत के समक्ष अपनी गवाही के दौरान, उसने कहा कि "एफएसएल रिपोर्ट को देखने के बाद इस मामले में हत्या से पहले बलात्कार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता

है।" उनके बयान को चुनौती नहीं दी गई और अवसर मिलने के बावजूद कोई जिरह नहीं की गई।

(9) मौखिक गवाही में मुख्य रूप से राम केवल (पी. डब्ल्यू. एल.) और माखन लाई (पी. डब्ल्यू. 2) के बयान शामिल हैं।राम केवल (पीडब्लू 1) मृतक के चाचा हैं।उन्होंने बताया कि 5 जनवरी, 1997 को उनके भाई के बच्चे घर में मौजूद थे।मृतक रिंकू को पड़ोस से दूध लाने के लिए भेजा गया था।वह दूध लेकर घर लौटी थी।दूध छोड़ने के बाद, वह यह कहते हुए बाहर गई थी कि उसे "चाचा राजू" ने बुलाया है।आरोपी पड़ोस में रहता था।इससे पहले वह शिकायतकर्ता परिवार का किरायेदार था।उसने घटना से 5 से 7 दिन पहले घर खाली कर दिया था।वह बाहर आया और देखा कि राजू रिंकू और अन्य छोटे बच्चों को टॉफी दे रहा था।उस समय एक पड़ोसी माखन लाई भी मौजूद थे।रिंकू रात 9 बजे तक नहीं लौटा। उन्होंने रिंकू और राजू की तलाश की।लेकिन उनका पता नहीं चल सका।अगली सुबह वह माखन लाई के साथ सरकारी कॉलेज की झाड़ियों के पास पहुंचे और वहां रिंकू का शव पड़ा पाया।उन्हें संदेह था कि बलात्कार किया गया था।उसके सिर और मुंह पर चोट के निशान थे।उसकी चप्पल, शॉल, खून से सना मिट्टी और खून से सना ईंट पड़ा हुआ देखा गया।उन्होंने माखन लाई को घटना स्थान पर छोड़ दिया था और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे।रक्तरंजित मिट्टी, जिस ईंट पर बाल भी चिपके हुए थे, शॉल और चप्पल की जोड़ी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया-वीडियो मेमो।Ex. पीबी।

(10) गवाह से जिरह की गई।पुलिस के सामने उनके बयान का सामना किया गया (उदा. पीए)।गवाह ने बहुत निष्पक्षता से स्वीकार किया कि अदालत में उसके द्वारा बताए गए कुछ तथ्यों का पुलिस के समक्ष उल्लेख नहीं किया गया था।उसने कहा कि उसने पुलिस को सुबह 6-6:30 बजे "रिपोर्ट दाखिल कर दी है।

"हालाँकि, उसने स्वीकार किया कि उसने कोई घड़ी नहीं पहनी हुई थी"उसने यह भी समझाया कि रिपोर्ट रात में दर्ज नहीं की गई थी क्योंकि उन्हें रिंकू के लौटने की उम्मीद थी।उन्हें इस बात का कोई संदेह नहीं था कि आरोपी ऐसा अपराध कर सकता है।उसने यह भी कहा कि वह पुलिस स्टेशन जाने से पहले घर नहीं आया था।" उन्होंने स्वीकार किया कि उसने आरोपी से वह घर खाली करवा लिया था जो उसके कब्जे में था क्योंकि उसे बच्चों को आवश्यक आवास उपलब्ध कराने में कठिनाई महसूस हो रही थी
उस से उस दूरी के बारे में पूछताछ की गई जिस पर ईंट और शॉल आदि पड़े हुए थे।उन्होंने इस बात से इनकार किया कि अभियुक्त ने "एक साल के लिए अग्रिम किराया दिया था और एक साल की अवधि समाप्त होने से पहले" उन्होंने घर खाली करवा दिया था।उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि आरोपी ने इस वजह से उन्हें पीटा था।यह सुझाव कि अभियुक्त को इस आधार पर फंसाया गया था, स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था।

(11) माखन लाल (पी. डब्ल्यू. 2) एक पड़ोसी है।वह कपड़े धोने का काम करता था।वह राम केवल द्वारा बताए गए तथ्यों की पुष्टि करता है।जिरह में उन्होंने दोहराया कि रिंकू का शव सुबह लगभग 6.45 बजे देखा गया था। ईंट शव से लगभग 30 कदम की दूरी पर पड़ी मिली थी।कपड़ों का विवरण भी दिया गया था।उन्होंने बताया कि पुलिस सुबह 7:30 या 7:45 बजे मौके पर पहुंची थी और लगभग एक घंटे तक मौके पर रही थी।उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि उन्होंने आरोपी को बच्ची को टॉफी वितरित करते नहीं देखा था।उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने आरोपी को रिंकू को चंदन नगर की ओर ले जाते हुए नहीं देखा था।

(12) सुभाष शर्मा (PW3) ने कहा कि राजू 6 जनवरी, 1997 को उससे मिला था और उसे बताया था कि "उसने एक लड़की के साथ बलात्कार किया था और उसने कॉलेज की इमारत की चारदीवारी के अंदर उसकी हत्या भी की थी।" जब वह आरोपी को पुलिस स्टेशन ले जा रहा था, तब वह लड़की के चाचा और पुलिस से भी मिला था।नतीजतन, उसने आरोपी को पुलिस को सौंप दिया था।8 जनवरी, 1997 को वह मामले की पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे।पुलिस उसे आरोपी के साथ घटना स्थल पर ले गई।आरोपी ने वह जगह दिखाई थी जहाँ उसने बलात्कार किया था और वह जगह भी जहाँ उसने लड़की के शव को फेंका था।पुलिस ने ईंट बरामद की थी, जिस पर खून के धब्बे थे और बाल चिपके हुए थे।ईंट पेड़ के पास पड़ी थी।गवाह का जिरह किया गया था।उसने स्वीकार किया कि उसका पुलिस से कोई संबंध नहीं था।वे किसी भी गाँव के लम्बरदार, सरपंच या सदस्य पंचायत नहीं थे।वे राजनीतिक नेता या नगर पार्षद नहीं थे।वे कभी एम. एल. ए. या एम. पी. नहीं रहे थे। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि राम केवल (पी. डब्ल्यू. 1) चाय की दुकान चला रहे थे और वे चाय पी रहे थे।वहाँ अभियुक्त का पिता रिक्शा चलाता था और वह अपने सामान को अपने रिक्शा में भेजता था।आरोपी रेहड़ी पर सब्जियां और फल बेच रहा था।वह अपनी कार्यशाला में आता रहता था।अन्यथा, उसका आरोपी से कोई परिचय नहीं था।वह आरोपी के पिता के कहने पर पुलिस स्टेशन गया था।उन्होंने इस सुझाब से इनकार किया कि आरोपी ने उन्हें हत्या के बारे में कुछ नहीं बताया था या उसने गलत बयान दिया था-क्योंकि वह राम केवल को जानता था।

(13) श्रीमती. राम केवल की पत्नी सुमित्रा पी. डब्ल्यू. 4 के रूप में पेश हुई। ।उसने बताया कि रिंकू दूध लाने गई थी।ऐसा करने के बाद वह यह कहते हुए बाहर चली गई कि

"राजू चाचा उसे बुला रहा था" रिंकू वापस नहीं आई।जिरह में उसने कहा कि माखन लाई, सुभाष और राम केवल रिंकू की तलाश में गए थे।उसने यह भी कहा कि पुलिस ने खोजबीन की और रिंकू के शव के बारे में सूचित किया।उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसे शिकायतकर्ता के वकील द्वारा पढ़ाया गया था या उसने गलत बयान दिया था कि राजू ने रिंकू को बुलाया था।

(14) श्री बी. आर. भाटिया (पीडब्लू. 6) ने तस्वीरें ली थीं (Ex. P1. से P8)।उन्होंने नकारात्मक को भी प्रस्तुत किया जो कि (पी9 से पी16 हैं)।सिपाही सर्वन कुमार (पीडब्लू 7) ने नक़्शा मौक़ा नज़री तैयार की जो Ex. PE थी।हेड कांस्टेबल आस मोहम्मद (पीडब्ल्यू 8), हेड कांस्टेबल गुगन राम (पीडब्ल्यू 9) और कांस्टेबल कल्लू राम (पीडब्ल्यू 14) ने केवल अपना हलफनामा दिया।सिपाही सुंदर सिंह (पीडब्लू 11) ने कहा कि उन्होंने सुबह 8 बजे इलाका मजिस्ट्रेट को विशेष रिपोर्ट सौंप दी थी। इंस्पेक्टर शिव नारायण (पीडब्लू 12) ने जांच का कुछ हिस्सा किया। सब इंस्पेक्टर शकुंतला (पीडब्लू 15) ने बुनियादी जाँच की।उसने राम केवल का बयान दर्ज किया था, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट का आधार बना।उसने फोटोग्राफर को बुलाया, जिसने आठ तस्वीरें ली थीं।उसने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्शनी पी. एन.) तैयार की थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था।उसने घटना स्थल का निरीक्षण किया था और खून से सना मिट्टी, चप्पल की जोड़ी, शॉल और खून और बाल से चिपकी ईंट को अपने कब्जे में ले लिया था।उसने चार अलग-अलग पार्सल तैयार किए थे-रिकवरी मेमो के माध्यम से जो।Ex. पीबी है। वह जनरल अस्पताल गई थी।उसने जाँच और अभियुक्त से पूछताछ के संबंध में पूरा विवरण दिया था।

(15) यह अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य है।

(16) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी को उसके खिलाफ सभी सबूतों से रूबरू कराया गया। उन्होंने इस आरोप का खंडन किया।प्रश्न संख्या 45 के उत्तर में उन्होंने केवल यह कहा कि वे निर्दोष हैं।उन्होंने राम केवल को एक साल का अग्रिम किराया दिया था, लेकिन छह महीने बाद उन्हें घर से निकाल दिया गया।उन्हें इस मामले में फंसाया गया क्योंकि उनके और राम केवल के बीच झगड़ा हुआ था।भले ही जिरह के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि उन्होंने राम केवल को पीटा था, फिर भी उन्होंने अदालत के समक्ष अपने बयान में ऐसा दावा नहीं किया।

(17) हमने अपीलार्थी की वकील बलजीत कौर और ।अपीलार्थी के विद्वान वकील और राज्य के सहायक महाधिवक्ता श्री अमोल रतन सिंह को सुना है।अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष की कहानी असंभव और झूठी है।गवाहों की गवाही विश्वास के योग्य नहीं है।वास्तव में, शव पुलिस द्वारा बरामद किया गया था और अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दी गई कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है:अपीलार्थी की ओर से किए गए दावे का श्री अमोल रतन सिंह ने खंडन किया है।

(18) यह स्वीकार की गई स्थिति है कि अपीलार्थी राजू शिकायतकर्ता के घर पर रहा था।यह उनका अपना मामला है कि उन्होंने घटना से कुछ दिन पहले घर खाली कर

दिया था।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि वह शिकायतकर्ता परिवार के लिए अजनबी नहीं था।मृतक की उम्र भी 11 साल थी।वह अपीलार्थी को जानती होगी।इस स्थिति में, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने अपने परिवार को बताया था कि राजू चाचा उसे बाहर बुला रहा था और वह उससे मिलने जा रही थी।इसके अलावा, अभिलेख पर यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि राम केवल (पीडब्लू 1) ने वास्तव में उसे बाहर जाते देखा था और राजू उसे टॉफी दे रहा था।वास्तव में, उन्होंने आगे कहा है कि राजू बच्चों को टॉफी वितरित कर रहा था।इसके अलावा, प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि माखन लाई (पीडब्लू 2) ने राम केवल को बताया था कि उसने रिंकू को राजू के साथ देखा था और दोनों को चंदन नगर की ओर जाते देखा गया था।इस दावे का स्पष्ट रूप से माखन लाई द्वारा समर्थन किया गया है, जब वह अदालत के समक्ष पी. डब्ल्यू. 2 के रूप में पेश हुए थे।गवाह से लंबी पूछताछ की गई।हालाँकि, यह दिखाने के लिए कुछ भी सामने नहीं आया कि वह सच नहीं कह रहा था या उसके पास अपीलार्थी को गलत तरीके से फंसाने का कोई कारण था।

(19)इन दो गवाहों की गवाही की जांच करने पर यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि मृतक को आखिरी बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था।इसके अलावा, इन दोनों गवाहों की गवाही की पुष्टि अपीलार्थी द्वारा सुभाष शर्मा (पीडब्लू 3) के समक्ष किए गए अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति से होती है।उनके पास अपीलार्थी को गलत तरीके से फंसाने का कोई कारण नहीं था।इस प्रकार, मौखिक गवाही स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के खिलाफ आरोपों को स्थापित करती है।

(20) इसके अलावा, यह स्वीकार की गई स्थिति है कि अपीलार्थी को चिकित्सकीय जाँच के लिए डॉ. गजराज सिंह (पीडब्लू 10) के पास ले जाया गया था।वास्तव में 6 जनवरी, 1997 को उनकी जाँच की गई थी।जाँच के समय उसके अंडरवियर पर वीर्य और खून के दाग पाए गए थे।उसकी कमीज और पतलून पर भी खून पाया गया।इन कपड़ों के साथ-साथ मृतक के कपड़ों को भी रासायनिक जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेज दिया गया था।कपड़ों पर मानव रक्त और वीर्य का लेप पाया गया।इसके अलावा, रिकॉर्ड पर मौजूद चिकित्सा साक्ष्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि मृतक के साथ यौन संबंध बनाए गए थे और उसका हाइमेन टूट गया था।फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (उदा. पी. टी.) स्पष्ट रूप से चिकित्सा और मौखिक साक्ष्य की पुष्टि करता है।

(21)अपीलार्थी की वकील सुश्री बलजीत कौर ने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने पूरे वर्ष के लिए किराया का भुगतान किया था।छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया था।शिकायतकर्ता ने झगड़े के कारण अपीलार्थी को गलत तरीके से फंसाया था।

(22)विवाद ग़लत है. सबसे पहले, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अपीलकर्ता ने एक वर्ष की अवधि के किराए के अलावा किसी भी किराए का भुगतान किया था। यहां तक कि कथित तौर पर भुगतान की गई राशि भी नहीं बताई गई है। कोई रसीद प्रस्तुत नहीं की गई. इसके अलावा, यदि अपीलकर्ता को उस अवधि की समाप्ति से पहले बेदखल कर दिया गया था जिसके

लिए किराया भुगतान किया गया था, तो शिकायतकर्ता के पास शिकायत का कोई कारण नहीं होगा। केवल अपीलकर्ता ही पीड़ित हो सकता है। हो सकता है कि अपीलकर्ता ने इस शिकायत के लिए शिकायतकर्ता परिवार को दंडित करने का विकल्प चुना हो। हालाँकि, भले ही आरोप सच मान लिए जाएँ, हालाँकि, भले ही आरोप सच मान लिए जाएं, लेकिन शिकायतकर्ता को अपीलकर्ता को झूठा फंसाने का कोई मकसद प्रदान नहीं करता।

(23) अंत में, यह भी ध्यान देने योग्य है कि एफ. आई. आर. बिना किसी देरी के दर्ज किया गया था।मौखिक साक्ष्य शुरुआत में दी गई कहानी को साबित करता है।चिकित्सा साक्ष्य और प्रयोगशाला रिपोर्ट पूरी तरह से मौखिक गवाही की पुष्टि करते हैं।कुल मिलाकर, अपीलार्थी के अपराध के बारे में कोई संदेह नहीं है।इस प्रकार, हम मानते हैं कि आरोप संदेह से परे साबित होता है।

(24) यह हमें सजा के प्रश्न पर लाता है।अपीलार्थी एक युवक है।लेकिन, उनका आचरण मानवीय नहीं था।उसने एक छोटी बच्ची का अपहरण कर लिया।बलात्कार किया।फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।एक ईंट से बच्चे की खोपड़ी और चेहरे को तोड़ दिया।यह सब एक असंवेदनशील और बीमार मन का संकेत है।

(25) यह सच है कि दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों में अत्यधिक दंड देना पड़ता है।लेकिन, हम हर बीमार व्यक्ति को फाँसी से बचने और समाज को पीड़ित करने की अनुमति नहीं दे सकते।समाज को राजू जैसे बीमार लोगों से बचाने की जरूरत है।इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए।ताकि दूसरे जीवित रह सकें।रिंकू जैसे असहाय बच्चों को सुरक्षा देने और ऐसे व्यक्तियों से उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है।हम ऐसी कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ नहीं पाते हैं जो अत्यधिक दंड से कम हो।

(26) नतीजतन, हम मौत की सजा की पुष्टि करते हैं और अपील को ख़ारिज करते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सुखवीर कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हिसार, हरियाणा